ed necessary, after the survey mentioned in (iii) above, has been completed.

Juvenile Delinquents

1731. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of **Social Security** be pleased to state:

(a) whether the Bombay Children's Act provides that there should be a separate agency to investigate crimes by the juvenile delinquents;

(b) if so, when this act has been extended to Delhi, why minor children are interrogated by policemen in uniform;

(c) whether a proposal made six years ago by a former D.I.G. to set up an agency of people trained in child psychology to investigate crimes by the juneniles was considered; and

(d) if so, the outcome thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao): (a) The Bombay Children Act provides that in addition to the investigation of a case of a Juvenile Delinquent by the police, a Social investigation will be made by the Probation Officer of the area.

(b) The Bombay Children Act 1924 was extended to Delhi in 1940. It has since been superseded by the Children Act 1960 for the Union Territories and the cases involving offences by minor children are now dealt with in Delhi in accordance with the provisions of the new Act.

(c) and (d). In the absence of details it is not possible to check up the position.

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अधीन अंशदान

1732. { **श्री रामानन्द शास्त्री :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अधीन दिया जाने वाला मालिक का अंशदान उस अधिनियम के अधीन प्रतिष्ठानों से, उन पर इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से या उन प्रतिष्ठानों के अस्तित्व का पता लगने से पहले की अवधि के लिए, वसूल किया जाता है ;

(ख) क्या मद्रास और पश्चिम बंगाल के राज्यों में प्रतिष्ठानों के मामले में, जहां उन प्रतिष्ठानों के अस्तित्व का पता लगने से पहले की अवधि के लिए अंशदान वसूल नहीं किया जाता है, इस प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) हां । मालिक का अंशदान प्रतिष्ठानों के अस्तित्व का पता लगने से पहले की अवधि के लिये, वसूल किया जाता है । अधिनियम के लागू होने की तारीख से पहले वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) तथा (ग). हां । मद्रास और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों ने अधिनियम का पश्चादर्शी लागू किया जाना और उसके अन्तर्गत बनाई हुई योजना को अवैध करार दिया है और इसीलिये पता लगने की तारीखों से पहले की अवधि के लिये पश्चिम बंगाल और मद्रास के क्षेत्रों में अंशदान नहीं लिया गया है ।

बम्बई बन्दरगाह पर माल उतारने का काम

1732. A { **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :